आज़ादी का अमृत महोत्सव

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER

RURAL WORKS DEPARTMENT (W) DIVISION, KISHANGANJ-2

Letter of Acceptance

(Letter head paper of the Employer)

(Email I.D- ee.kishanganj2.rwd@gmail.com)

Memo No:...1004........ **Date:**..07/05/2025........

To,

Pawan Kumar Agarwal (BID ID-610865)
At- 48 Purab Palli Road,Caltex Chowk,Kishanganj,
District-Kishanganj Pincode: 855107
Reg No-1210278
Mobile No.- 77177 50254
Email ID- pawankumaragarwal048@gmail.com/vagarwal096@gmail.com

Dear Sir,

This is to notify that your Bid dated 26-03-2025 for execution of the **Pkg No.- RRSMP/24-25/Kishanganj-2/03 In Pothia Block Under- MMGSUY (TENDER ID- 139348)** for the contract price of **Rs. 31,53,47,841.00 (Thirty One Crore Fifty Three Lacs Forty Seven Thousand Eight Hundred Forty One),** as corrected and modified, in accordance with the instructions to Bidders is hereby accepted by our Agency.

We note that as per Bid, you do not intend to subcontract any component of work

You are hereby requested to furnish Performance Security **(only in form of e-BG)** including and additional security for unbalanced bid in terms of ITB clause 27.4 an amount of **Rs.- 1,65,57,500.00 (One Crore Sixty Five Lacs Fifty Seven Thousand Five Hundrd) Only** (P.S. 5% Rs. 1,57,67,400.00 + Addl. P.S. 0.25% Rs. 9,29,400.00) within 21 days in accordance with the Conditions of Contract using for that purpose form in Section VIII annex D and sign the Contract, failing which action as stated in Para 34.2 of ITB will be taken.

Yours Faithfully

Authorized Signature: ______ 7/5/25

Name and Title of Signatory: Executive Engineer

Name of Agency: R.W.D (W), DIV, Kishanganj-2

7/5/25

Memo No...1004........**Date**..07/05/2025......

Copy forwarded to:- Superintending Engineer, R.W.D, Works Circle, Kishanganj/ Nodal MMGSUY R.W.D, Patna/Chief Engineer-4,(Purnia) R.W.D, Patna/Addl.CEO-Cum-Secretary, BRRDA, Patna/Engineer-In-Chief, R.W.D, Patna for information & necessary action.

7/5/25

Executive Engineer
R.W.D (W), DIV, Kishanganj-2

7/5/25

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांकः–II/मु0अ0–4–प0पु0–01– 73/25 717 दिनांकः–09/05/2025

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ),
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **किशनगंज।**

विषयः– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **किशनगंज–2** के अधीन शीर्ष **MMGSUY(RRSMP)** अन्तर्गत **RRSMP/24-25 Kishanganj-2/03 (Tender Id-139348) पथ के उन्नयन एवं अनुरक्षण कार्य** के निविदा निष्पादन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **किशनगंज–2** के अधीन शीर्ष **MMGSUY(RRSMP)** अन्तर्गत **RRSMP/24-25 Kishanganj-2/03 (Tender Id-139348)** निविदा समूह के वित्तीय बीड के सफल न्यूनतम दर निविदाकार, **Pawan Kumar Agarwal (Bid ID-610865)** को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि से **0.21 (शून्य दशमलव दो एक) प्रतिशत** कम अर्थात **रु 31,53,47,841.00 (इकतीस करोड़ तिरपन लाख सैतालीस हजार आठ सौ इकतालीस)** रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के वित्तीय बीड के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–**मु0अ0(अ0उ0)–4515–01–792/2025 1574** अनु0/पटना, दिनांक–**05.05.2025** के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्रदत् है।

1. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
2. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित एन0एस0सी0/किसान विकास पत्र/बैंक गारंटी आदि का सत्यापन संबंधित डाकधर/बैंक से कराकर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
3. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा। किसी प्रकार कि भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
4. एकरारनामा के समय कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक संयुक्त रूप से स्थल निरिक्षण करेंगें तथा प्राक्कलन के प्रावधान, एकरारनामा के मद एवं राशि इत्यादि से संतुष्ट हो लेंगे। तदनुरसार मासिक कार्य योजना जो एकरारनामा का अंश होगा के अनुसार कार्य की प्रगति निरंतर बनाए रखेंगे।
5. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
6. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तो में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
7. कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित अवधि के अन्दर यंत्र–संयत्र स्थल पर स्थापित कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिबार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।

9. इस कार्य का व्यय शीर्ष **MMGSUY** से विकलनीय होगा। व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के राशि के अन्तर्गत ही रखा जाएगा।
10. कार्य की प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
11. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा यह कार्य नहीं कराया जा रहा है।
13. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजा जायेगा एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जायेगा।
14. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।
15. अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं स्वीकृत प्राक्कलन की प्रत्येक बिन्दू की जाँच कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जाएगी। परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि अनुज्ञेय सीमा से अधिक होने पर एकरारनामा के पूर्व पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
16. किसी भी परिस्थिति में निजी भूमि पर निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा।
17. कार्यपालक अभियंता कार्यावंट आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब LOA (Letter of Acceptance) निर्गत करेंगे एवं CMBD की ITB की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्धारित 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा कर लेंगे। सेवंदक द्वारा निर्धारित समयावधि में एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में CMBD के ITB की कंडिका 34.02 के तहत संवेदक के अग्रधन की राशि जब्त करते हुए इस कार्य की पुनर्निविदा की अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। विशेष परिस्थिति में निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा सम्पादित नहीं होने के कारण का Proper Justification के साथ अद्योहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे, तथा अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् की एकरारनामा की कार्रवाई करेंगे।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ)

ज्ञापांकः– 717 दिनांकः– 09/05/2025

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **किशनगंज–2** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ)

ज्ञापांकः– 717 दिनांकः– 09/05/2025

प्रतिलिपिः–नोडल पदाधिकारी, **MMGSUY,** ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ)

ज्ञापांकः– 717 दिनांकः– 09/05/2025

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित ।

मुख्य अभियंता–4 (पूर्णियाँ)

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज।

E-mail ID- se.kishanganj.rwd@gmail.com, Mobile No. 8986915948

पत्रांक ......452....... / किशनगंज, दिनांक 09/05/2025

प्रेषक :– अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, किशनगंज।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2

विषय :– **शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 के अधीन RRSMP/24-25 Kishanganj-2/03 (Tender ID- 139348) निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।**

प्रसंग :– **मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 717 दिनांक– 09.05.2025**

महाशय,

1. उपर्युक्त विषय के संबंध में बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 163 के आलोक में इस कार्य को इसके योग्य सफल न्यूनतम दरदाता **Pawan Kumar Agarwal (Bid ID- 610865)** को उनके द्वारा निविदित दर, जो परिमाण विपत्र की दर से **– 0.21%** कम है, पर उक्त कार्य रू0 **31,53,47,841.00 (एकतीस करोड़ तिरपन लाख सैंतालीस हजार आठ सौ एकतालीस)** मात्र की लागत पर प्रसंगाधीन पत्र द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एंव कार्य हित में आवंटित किया जाता है।

2. कार्यपालक अभियंता प्रसंगाधीन पत्र में दिये गए सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी के लिये है, जो भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं होगा।

4. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवम निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित बैंक गारंटी/एन0 एस0 सी0 आदि का सत्यापन संबंधित बैंक/डाकघर से करा कर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा। कार्यपालक अभियता, **कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2** कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन कराकर, सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जाएगी।

6. एकरारनामा से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निविदाकार डिबार सूची/ काली सूची या कार्य लंबित सूची में शामिल नहीं है।

7. कार्य में व्यवहृत सामाग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य करते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।

8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोडकर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

9. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व यह जॉच लेंगे की रोड का नाम, अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रसाशनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परकमित दर, Bid Capacity आदि सही है। अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जॉच अपने स्तर से स्वंय कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरांत एकरारनामा की कार्रवाई की जाएगी।

9/5

P.T.O

10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
11. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारनामित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्रम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो की एकरारनामा का भाग होगा।
12. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर कार्य पूरा की जाए।
13. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।
14. इस कार्य का व्यय **शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) योजना अन्तर्गत** मिलने वाली राशि अन्तर्गत उपवंधित राशि से विकलित होगा।
15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाये।
16. एकरारनामा से पहले संवेदक द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2** तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधोहस्ताक्षरी को अभिलेख हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे। तथा उनका कार्यक्षमता, कुशलता एंव पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।
17. इस निविदा की राशि में अगर कोई अन्तर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त एकरारनामा के पूर्व इस कार्यालय को दी जाय।
18. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वॉछित परफारमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
19. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
20. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्व हस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
21. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में आवश्यक सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
22. कार्यपालक अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उर्पयुक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई करेंगे तथा की गयी कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
23. निविदा निष्पादन के कम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय तथा इस कार्यालय को एकरारनामा के पूर्व तुरंत सूचित किया जाय।
24. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाये।
25. कार्यपालक अभियंता कार्यावंटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलम्ब LOA (Letter ofAcceptance) निर्गत करेंगे एवं CMBD की ITB की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्धारित 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में ITB की कंडिका – 34.2 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रस्ताव मुख्य अभियंता–4 को समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा करने हेतु Proper Justification उचित माध्यम से मुख्य अभियंता–4 को समर्पित करेंगे एवं उनके अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।

निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनकी कार्यक्षमता, कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 3/5/25

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, किशनगंज।